

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 222 सन 2022

अनवान :-

1. गुरदेवसिंह उर्फ तेजासिंह पुत्र ठानसिंह उर्फ थानासिंह जाति जटसिख निवासी मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. दर्शनसिंह पुत्र ठानसिंह उर्फ थानासिंह जाति जटसिख निवासी मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 04/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 112/116 की कुल 15.1760 हैक्ठु भूमि में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा दर्ज है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने अन्य भूमियों के साथ काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वाद भूमि में वादी का 5/48 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 1 को 3/16 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई थी इसी अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नहीं है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।


वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य परिवारिक समझौता के अनुसार वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 112/116 की कुल 15.1760 हैक्ठु भूमि में

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा दर्ज है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने अन्य भूमियों के साथ काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वाद भूमि में वादी का 5/48 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 1 को 3/16 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई थी इसी अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नहीं है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्मति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेघाना के खाता संख्या 112/116 की कुल 15.1760 हैक् भूमि में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा दर्ज है।

वादी का कथन है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद भूमि के साथ अन्य भूमियों का परिवारिक समझौता के अनुसार बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघाना के खाता संख्या 112/116 की कुल 15.1760 हैक् मुश्तकरका खाते में 1/8 हिस्सा के स्थान पर 3/16 हिस्सा वादी के नाम एवं 1/6 हिस्सा के स्थान पर 5/48 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तर्तीय तकमील जाब्त दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 04/05/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाका दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. गुरदेवसिंह उर्फ तेजासिंह पुत्र ठानसिंह उर्फ थानासिंह जाति जटसिंह निवासी मेघाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. दर्शनसिंह पुत्र ठानसिंह उर्फ थानासिंह जाति जटसिंह निवासी मेघाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 222 सन 2022 निर्णय दिनांक- 04/05/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघाना के खाता संख्या 112/116 की कुल 15.1760 हैव मुश्तकरका खाते में 1/8 हिस्सा के स्थान पर 3/16 हिस्सा वादी के नाम एवं 1/6 हिस्सा के स्थान पर 5/48 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर